Details of Registered Cases

14/15/116 CHAUDHARY ABHAY SINGH CHAUTALA (ELLENABAD): Will the Home Minister be pleased to state:-

- (a) the total number of criminal cases registered under the sections of I.P.C. and S.L.L. in State from January, 2022 to 31st December, 2022 : and
- (b) the details of the criminal cases registered as mentioned at (a) above regarding murder, rape, gang rape, kidnapping, dacoity, robbery, crime against women and crime against scheduled castes together with the details thereof?

Reply: SHRI ANIL VIJ, HOME MINISTER, HARYANA

Sir, a statement is placed on the table of the House.

Sir, The point-wise reply is as under:

a) The total number of criminal cases registered under the IPC and Local and Special Laws (LSL) in State since 1st January, 2022 to 31st December, 2022 are as under:-

IPC	Local and Special Laws	Total
1,24,004	35,436	1,59,440

b) The details of the criminal cases registered by the government on account of murder, rape, gangrape, kidnapping, dacoity, robbery, crime against women and crime against Scheduled Caste person out of the cases mentioned in at 'a' above are as under:-

Murder (302 IPC)	1,007
Rape (376-376E IPC) -Including 275 cases of Gangrape	1,968
(376D/DA/DB IPC)	
POCSO (Section 4 & 6)	1,358
Kidnapping (363-369 IPC)	3,980
Dacoity (395,396,397 IPC)	105
Robbery (392,394,397, 379B IPC)	1,525
Crime Against Women (304B, 312-314, 354-354-D, 366-366B,	12,208
376-376E, 498A, 509 IPC)	
Crime Against Scheduled Caste [All Cases where Scheduled	1,525
Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989	
has been invoked]	

Note: All statistics have been extracted from CCTNS and is as on 01.01.2023. Definition of Crime Heads is according to "Rule of Principal Offence" used by NCRB while preparing Crime in India.

पंजीकृत आपराधिक मामलों की संख्या

14/15/116 श्री अभय सिंह चौटाला, (ऐलनाबाद) : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:-

- क) 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धाराओं तथा स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों (एल.एस.एल) के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की कुल संख्या तथा
- ख) बिंदु (क) पर दर्शाए गए दर्ज मामलों का विवरण जैसे- हत्या, बलात्कार, सामूहिक-बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध:
- उत्तर- श्री अनिल विज, गृहमंत्री हरियाणा। श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

श्रीमान जी, बिन्दु-वार उत्तर निम्नलिखित प्रकार से है-

क) 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धाराओं तथा स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों (एल.एस.एल) के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की कुल संख्या इस प्रकार है: -

भारतीय दंड संहिता	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	कुल
1,24,004	35,436	1,59,440

(ख) बिंदु (क) पर दर्शाए गए दर्ज मामलों का विवरण जैसे- हत्या, बलात्कार, सामूहिक-बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध निम्न-प्रकार से है: -

हत्या (302 IPC)	1,007
बलात्कार (376-376E IPC)- गैंगरेप (376D/DA/DB IPC) के 275 केस सहित	1,968
पोक्सो (4 & 6)	1,358
अपहरण (363-369 IPC)	3,980
डकैती (395,396,397 IPC)	105
लूट (392,394,397, 379B IPC)	1,525
महिलाओं के खिलाफ अपराध (304B, 312-314, 354-354-D, 366-366B, 376-376E, 498A, 509 IPC)	12,208
अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध (सभी मामले जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया गया है)	1,525

नोट: सभी आंकड़े सीसीटीएनएस से दिनांक 01.01.2023 को निकाले गए हैं। अपराध-शीर्ष की परिभाषा 'भारत में अपराध' तैयार करते समय एन.सी.आर.बी. द्वारा उपयोग किए जाने वाले 'मुख्य अपराध नियम' के अनुसार है।